न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20/2020

1. निरन्जन कुमार पिता रामकृष्ण शर्मा निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)	**बनाम**	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
–अपीलार्थी		**–रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट,1959 सपठित नियम 05 आयुध नियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2018/1274–75 दिनांक 20.02.2018

उपस्थित –

1. श्री किशनलाल कुमावत – अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से विभागीय पेरोकार।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक : .2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट, 1959 सपठित नियम 05 आयुध नियम 1962 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2018/1274–75 दिनांक 20.02.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के नाम का शस्त्र अनुज्ञा नम्बर 47/97 टोपीदार दो नाल नम्बर 7010 होकर दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था एवं अपीलान्ट द्वारा समय–समय पर विहित समयावधि में उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को विहित शुल्क जमा करवाकर नवीनीकृत कराया जा रहा था व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नवीनीकरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.12.2017 को उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के लिये नवीनीकरण के लिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही होकर दिनांक 20.02.2018 को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यों के विपरीत व मनमाना होकर अपास्त किये जाने योग्य है। शस्त्र अनुज्ञापत्र 47/1997 अपीलान्ट के नाम पर होकर दिनांक 01.01.2009 से दिनांक 31.12.2011 व दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 31.12.2014 व दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.12.2017 तक नियत समयावधि में नवीनीकृत होकर विहित शुल्क अपीलान्ट ने जमा करवाया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थानाधिकारी कारोई के यहाँ से लाईसेन्स नवीनीकरण करने बाबत टिप्पणी मंगवायी गई जिसमें लाईसेन्सधारी के नाम पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमे क्या कार्यवाही हुई जिसमें थानाधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 63/2007 धारा 147, 148, 149, 332, 336, 353, 283 आईपीसी के तहत दर्ज होना व बाद चालान न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2008 को 500 रु. जुर्माना होना अकिंत किया है तथा मुकदमा नम्बर 315/2015 धारा 279, 337, 338 आईपीसी का दर्ज होकर कोर्ट मे जैर ट्रायल बताया है, किन्तु फिर भी थानाधिकारी कारोई ने अपीलान्ट का लाईसेन्स नवीनीकरण करने की रिर्पोट की है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

थानाधिकारी कारोई की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पर मुकदमा वर्ष 2007 होकर दिनांक 31.03.2008 को उसमें 500 रु. जुर्माना हुआ है तथा वर्ष 2012 के प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा–12 प्रोबेशन एक्ट के तहत लाभ दिया गया है। उपरोक्त दोनां प्रकरण अपीलान्ट के विरुद्ध होते हुए भी अपीलान्ट के नाम पर उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र का समय–समय पर नवीनीकरण हुआ है तथा उसके बाद नियमित रूप से नवीनीकरण हुआ है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने नवीनीकरण किया है। यहाँ यह लिखना उचित होगा कि हर बार नवीनीकरण होने पर थानाधिकारी कारोई से रिपोर्ट कराई गई होगी फिर भी अब अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधिक प्रक्रिया से परे जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरुद्ध कोई भी नैतिक अधमता का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा न ही कोई भी आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ है। अपीलान्ट द्वारा अपने हथियार का कभी कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लाईसेन्स निरस्त करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया था तथा मनमाफिक तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। उसके बाद अपीलान्ट को पुलिस थाना कारोई द्वारा दिनांक 20.3.2018 को हथियार जमा कराने के लिये मौखिक तौर पर कहा गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपना हथियार पुलिस थाना कारोई में जमा करवा दिया गया, किन्तु अपीलान्ट के लाईसेन्स के निरस्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। अपीलान्ट ने दिनांक 04.09.2020 अपने शस्त्र लाईसेन्स के बारे में भीलवाड़ा आकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी की एवं विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये दिनांक 04.09.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2020 को प्रमाणित प्रति जारी की है इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.03.2018 से एवं उसकी निरन्तरता में आदेश की प्रति मिलने की दिनांक 09.09.2020 से उक्त अपील विहित समयावधि में पेश है। अपील को मियाद में शुमार किये जाने हेतु अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ में प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20.02.2018 को अपास्त फरमाया जावें व अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 47/1997 को नियमानुसार नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान करावे।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गई।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20.02.2018 को निरस्त फरमाते हुए अनुज्ञापत्र संख्या 47/1997 का नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय पेरोकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज होकर जैर ट्रायल विचाराधीन है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण जाहिर आया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत आवेदन बाबत् शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में थानाधिकारी, कारोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नंबर 143/11 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, भा0द0स0 में दर्ज होकर जैर ट्रायल विचाराधीन है एवं एक अन्य मुकदमा नंबर 63/07 धारा 147, 148, 149, 332, 336, 353, 283 आईपीसी के तहत दर्ज होना व बाद चालान न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2008 को 500 रु. जुर्माना लगाया है। न्यायालय में जैर ट्रायल प्रकरण के अंतिम निर्णयोपरांत ही प्रार्थी पर चार्ज साबित होंगे। साथ ही थानाधिकारी, कारोई द्वारा उक्त रिपोर्ट में लाईसेन्सधारी का आचरण/व्यवहार अच्छा होना तथा लाईसेन्सधारी द्वारा हथियार का दुरूपयोग नहीं किये जाने के साथ ही यह भी अंकन किया गया है कि आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नियमानुसार नवीनीकरण अगली अवधि के लिये किया जाना उचित है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट, 1959 सपठित नियम 05 आयुध नियम, 1962 आंशिक स्वीकार जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2018/1274–75 दिनांक 20.02.2018 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर एवं प्रार्थी को सुना जाकर गुणावगुण व योग्यता के आधार पर स्वविवेक से पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ मय तलबिदा रिकॉर्ड उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा